

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

- (1) प्रकरण संख्या: 06/2019
(2) दायरा दिनांक: 24.4.2019

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरौही

बनाम

गैरसायल

आरीफ शाह पुत्र शबीर शाह, जाति- मुसलमान, निवासी- ईदगाह रोड, आबूरोड, पुलिस थाना आबूरोड शहर, जिला- सिरौही

“इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975”

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल स्वयं एवं गैरसायल के अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्‍नोई

-: निर्णय :-

दिनांक 28 मई, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा गैरसायल आरिफ शाह पुत्र शबीर शाह जाति- मुसलमान, निवासी- ईदगाह रोड, आबूरोड के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी एवं जुआं के अपराध करने का आदि है। जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खिलाता रहता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। गैरसायल का जुआ खेलने व खिलाने से आम लोगों व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु लोग तैयार नहीं होते हैं। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड शहर में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 5 प्रकरण दर्ज हुये हैं तथा इन 5 प्रकरणों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया है। गैरसायल से आम जनता में भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति भी तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 28.5.2019 को गैरसायल उपस्थित हुआ एवं गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्‍नोई उपस्थित हुये। प्रकरण में गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया।



.....पेज दो पर
प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत पुलिस थाना आबूरोड शहर में 5 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये एवं इन सभी प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है। इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कई गरीब परिवार अपनी जमा पूंजी जुएँ में गवा चुके हैं। गैरसायल के ऐसे आपराधिक कृत्यों से आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते हैं, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को जिला सिरोही से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस में यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने उक्त सभी प्रकरणों में ट्रायल से बचने के लिये संबंधित न्यायालय में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है। गैरसायल के विरुद्ध कोई गंभीर अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं है। गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके शांति पूर्वक जीवनयापन कर रहा है, गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। गैरसायल से आमजन में भय व्याप्त नहीं है, इसलिये प्रस्तुत इस्तगासा को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल आरीफ शाह पुत्र शबीर शाह, जाति-मुसलमान, निवासी- ईदगाह रोड, आबूरोड के विरुद्ध पुलिस थाना, आबूरोड शहर में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 19/12.1.2018, 34/24.1..2018, 160/04.7.2018, 172/09.7.2018 व 183/12.7.2018 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त सभी प्रकरणों में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है। जिनमें से अपराध संख्या: 19/12.1.2018, 160/04.7.2018 व 183/12.7.2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या: 19/12.1.2018, 160/04.7.2018 व 183/12.7.2018 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 07.3.2018, 06.8.2018 व 02.8.2018 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।




ONV
मति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

....पेज तीन पर

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए आरिफ शाह पुत्र शबीर शाह, जाति- मुसलमान, निवासी- ईदगाह रोड, आबूरोड को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 30 दिन (एक माह) की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड शहर से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड शहर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड शहर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।




(मुकेश चौधरी)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरौही